North Western Railway

मंडल कार्यालय, अजमेर
दिनांक 22.01.2025

संख्या C/436/STBA/2024-25

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट आमंत्रण सूचना हेतु निविदा एस.टी.बी.ए.

कार्य का नाम – वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से अजमेर मंडल के NSG-5 व 6श्रेणी के निम्न स्टेशनों (Dhareshwar, Iqbalgarh, Sareri, Bhimal, Mangliawas, Mawal, Bhinwalia, Sarotraroad, Kharwa, Banas, Kiwarli, Pushkar(PUHT), Mandpiya, Lambiya, Debari, Bar, Keshavganj, Chandawal, Bagri Nagar, Guriya, Rupaheli, Morthala, Bhimana, Biroliya, Saradhana, Auwa, Jharwasa, Hatundi, Mokhampura, Khimel, Amarpura, Karjoda, Vantada, Jethi, Kharwa Chanda, Rajosi, Fatehnagar, Raigadh Road) पर कम्प्यूट्रीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) से अनारक्षित रेल टिकटों की बिक्री हेतु स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट के चयन करने हेतु निविदा फार्म में उल्लेखित शर्तो एवं ऐसी शर्ते, जो समय – समय पर विहित की जाएगी, को पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्तियों से दिनांक 17.02.2025 तक निविदा के रूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठेके का प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(1) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक व समय – 17.02.2025 को 10:00 बजे से 17.02.2025 को 15:00 बजे तक।
(2) आवेदन पत्र खोलने की दिनांक व समय – 17.02.2025 को 15:30 बजे
(3) आवेदन पत्र के सम्वंध में सम्पूर्ण जानकारी उ.प. रेलवे की वैवसाईट www.northwesternrailway.gov.in पर उपलब्ध हैं।
(4) निविदा सम्वंधी विवरण निविदा दस्तावेज़ में उपलब्ध हैं जिसे वाणिज्य शाखा, मंडल कार्यालय, माल रोड अजमेर से प्राप्त किया जा सकता हैं। निविदा फार्म एवं टेंडर से सम्बंधित अन्य सभी विवरण रेलवे की वैवसाईट से डाऊनलोड किए जा सकते हैं।

मंडल रेल प्रवंधक (वाणिज्य)
अजमेर

230

उत्तर पश्चिम रेलवे
अजमेर मंडल
(वाणिज्य विभाग)

अजमेर मंडल के NSG-5 व 6 श्रेणी के कुल 38 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एसटीबीए) नियुक्ति हेतु अधिसूचना |

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि. मंडल वाणिज्य प्रवंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर के द्वारा अजमेर मंडल के NSG-5 व 6 श्रेणी के 38 स्टेशनों (1 .धारेश्वर, 2. इकबालगढ़, 3. भीमल, 4.मांगलियावास, 5. मावल, 6. भीनवालिया, 7. सरोत्रा रोड़, 8. खरवा, 9. बनास, 10. किवरली, 11. पुष्कर, 12.मंडपिया, 13. लाम्बिया 14. देबारी, 15. बर, 16. केशवरगंज, 17. चंडावल, 18. वगड़ी नगर, 19. गुड़िया, 20. रूपाहेली, 21.मोरथला, 22. भीमाना, 23. बिरोलिया, 24. सराधना, 25. आउवा, 26. झड़वासा, 27. हटूण्डी, 28. मोखमपुरा, 29. खीमेल, 30. अमरपुरा, 31. करजोड़ा, 32. वांटड़ा, 33. जेथी, 34. खरवा चांदा, 35.राजोसी, 36. सरेरी, 37. फतेहनगर, 38. रायगड रोड) पर कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यू0टी0एस0) द्वारा कमीशन दर पर अनारक्षित टिकट देने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0वी0ए0) अभिकर्ता के चयन के लिए आवेदन, स्थानीय लोगो से बंद लिफाफे में आमंत्रित किए जाते हैं | संविदा की प्रारम्भिक अवधि मात्र 03 (तीन) वर्षो की होगी |

आवेदक अपना आवेदन मंडल रेल प्रवंधक (वाणिज्य)/उ. प. रेलवे/अजमेर के कार्यालय में पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक या हाथो - हाथ अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 17.02.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में 10:00 वजे से 15:00 वजे के बीच जमा करा सकतें हैं | अंतिम तिथि, दिनांक 17.02.2025 को अपरहान 15:00 बजे के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा | लिफाफे के उपर स्टेशन का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए आवेदन किया गया हैं | आवेदक किसी एक ही स्टेशन के लिए आवेदन कर सकता हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी एक ही स्टेशन के लिए एसटीवीए के रूप में चयन किया जाएगा |

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट के चयन हेतु पात्रता एवं शर्ते

(01) जन्मतिथि - आवेदक की आयु दिनांक 17.02.2025 को 18 वर्ष.से कम नही होनी चाहिए | उम्र के प्रमाण के लिए केन्द्रीय शैक्षणिक वोर्ड अथवा इससे संबंधित कोई अन्य प्रलेख प्रस्तुत करना होगा |

02) शैक्षणिक योग्यता - आवेदक को कम से कम दसवी कक्षा पास होना चाहिए | इसके प्रमाण में राज्य/केन्द्र शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्गत स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा |

लगातार पृष्ठ संख्या 02 पर

२२५

(03) चरित्र प्रमाण पत्र - आवेदक को संबंधित जिले के जिला अधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा निर्गत नवीनतम (छः माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र अच्छा हैं। चयनित आवेदक को अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नही हैं।

(4) आवासिय प्रमाण पत्र - आवेदक को उसी जिले (district) का निवासी होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए उसने आवेदन दिया हैं। इसके लिए उसे उस जिले के डी0एम0/एस0डी0एम0/बी0डी0ओ0/सी0ओ0/तहसीलदार द्वारा निर्गत स्थानीय नागरिक होने का मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा।

(05) (ए) NSG-5 श्रेणी के आवेदक को अपने आवेदन के साथ 5000/- रुपए एवं NSG-6 श्रेणी के आवेदक को अपने आवेदन के साथ 2000/- रुपए मूल्य की अग्रधन की राशि जमा करनी होगी (जों वापस की जा सकती हैं)। ये राशि अजमेर मंडल के किसी भी स्टेशन से जारी मनी रसीद (MR) या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर के नाम से दैय हों तथा अजमेर में भुगतेय हो (Senior Divisional Finance Manager, payable at Ajmer) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(बी) अधिकार पत्र प्रप्ति के 5 दिनों के भीतर कार्य प्रारम्भ नही किये जाने वाले सफल आवेदक की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

(सी) असफल आवेदको की बयाना राशि (ई0एम0डी0) एक समय सीमा के भीतर वापस कर दी जाएगी तथापि रेल के पास रहने के बदले इस पर किसी प्रकार का ब्याज दैय नही होगा।

(डी) बयाना राशि जमा नहीं करने वाले आवेदक के आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार नही किया जाएगा।

(06) NSG-5 श्रेणी के स्टेशनों के सफल आवेदक को रुपये 25,000/- एवं NSG-6 श्रेणी के स्टेशनों के सफल आवेदक को रुपये 10,000/- का ब्याज रहित वापस किये जाने वाले जमानति राशि तैयार रखना होगा जो नियंत्रक स्टेशन पर यूटीएस सिस्टम के द्वारा नगद जमा करना होगा अथवा सावधिक जमा (Fixed Deposit) देने के लिए तैयार रखना होगा। संविदा की अवधि समाप्ति/पूर्ण होने के पश्चात जमानति राशि जमा से लंबित बकाए को समायोजित किया जायेगा एवं शेष बची राशि एस0टी0बी0ए0 अभिकर्ता को वापस की जाएगी।

(07) आवेदन के साथ आवेदकों को हाल का बना पासपोर्ट आकार का स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाना चाहिए तथा संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।

लगातार पृष्ठ संख्या 03 पर

228

(08) एस0टी0बी0ए0 स्टेशन के वर्तमान बुकिंग काउन्टर से टिकट जारी करेंगे |

(09) एस0टी0बी0ए0 स्टेशन मास्टर को बेचे गये टिकटों के मूल्य एवं बिक्री का दैनिक आधार पर हिसाब - किताब देंगे |

(10) एस0टी0बी0ए0 को अधिकार पत्र प्राप्त होने के 40 दिनों के अंदर रेल प्रशासन के साथ करार करना होगा जिसमें निर्धारित खण्डो के अनुसार उन्हें कार्य करना होगा |

(11) एस0टी0बी0ए0 के चयन का अर्थ यह नही.माना जाएगा की वे रेलवे में सरकारी नौकरी के हकदार होंगे | यह चयन पूर्णरूपेण संविधा पर आधारित हैं | फलत: एस0टी0बी0ए0 को रेलवे नौकरी, नियमित सेवा, बोनस, रेल पास जैसी कोई सुविधा नही मिलेगी |

(12) चूँकि एस0टी0बी0ए0 का चयन पूर्णरूपेण ठेके पर आधारित हैं, अत: किसी भी पक्ष की ओर से 30 दिनों की नोटिस पर इसे समाप्त किया जा सकता हैं |

(13) निम्नलिखित प्रकार से कमीशन का भुगतान किया जाएगा |

स्लैब	मासिक बिक्री , टर्नओवर (रुपये में)	मासिक कमीशन प्रतिशत में
स्लैब-1	1- 20,000	25 प्रतिशत (कम से कम 2500/- रुपये)
स्लैब-2	20,001 – 100,000	15 प्रतिशत
स्लैब-3	1.00,000 से उपर	04 प्रतिशत या ऑफर प्रतिशत दोनों में से जो कम हो	

पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले सफल आवेदकों में से जो आवेदक सबसे कम कमीशन (4 प्रतिशत अथवा इससे कम कमीशन स्लैब) पर कार्य करने के विकल्प का चयन करेंगे उन्हें चयन हेतु चयनित किया जाएगा | यदि आवेदक 4 प्रतिशत अथवा इससे कम कमीशन स्लैब में कुछ नही लिखता हैं तो उसे शून्य माना जाएगा | यदि एक से अधिक आवेदक एक ही दर उद्धृत करते हैं, तो चयन सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से ड्रा के आधार पर किया जाएगा।

(14) एस0टी0बी0ए0 संविदा से हटकर अधिकार अथवा दायित्वों का न तो हस्तांतरण करा सकते हैं और ना ही यह कार्य किसी को भाड़े पर दे सकते हैं | लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर शेष बची हुई अवधि के लिए यह कार्य उनके कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जा सकता हैं | इसमे उल्लेखित नीति के प्रावधानों के तहत मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी लाईसेंस विस्तार हेतु आवेदन कर सकता हैं |

लगातार पृष्ठ संख्या 04 पर

(15) एस0टी0बी0ए0 भारतीय रेलों पर प्रचलित 08 घंटो की पाली मे कार्य करने वाले स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर के पास टिकट बिक्री से हुई आय को जमा करा देंगे | यहाँ 08 घंटो की पाली का कार्य 08.00 बजे से 16.00 बजे, 16.00 बजे से 24.00 एवं 24.00 बजे से 08.00 बजे तक हैं |

(16) यदि एस0टी0बी0ए0 की लापरवाही या टिकट निर्गत करते समय अनुपस्थित रहने की वजह से यदि टिकटिंग कार्य बाधित होता हैं तो ऐसी स्थिति में एसटीबीए के प्रतिदिन के सेल टर्नओवर के बराबर, लेकिन रुपये 2000/- से कम नहीं के हिसाब से एसटीबीए के विरुद्ध प्रतिदिन अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा | किसी भी प्रकार की जनशिकायत की पृष्टि होने पर रुपये 500/- तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा |

(17) प्रारम्भ में प्रत्येक स्टेशन पर एक एसटीबीए नियुक्त किये जाएंगे | एसटीबीए संविदा से हटकर न तो इस कार्य को किसी को भाड़े पर देंगे और नाही अपने अधिकार या दायित्वों को दूसरे व्यक्ति को सौपेंगे तथापि यदि वे ऐसा चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें सक्षम रेल अधिकारी की पूर्व अनुमति से मानक करार में इसकी व्यवस्था करनी होगी |

(18) टिकट बिक्री के लिए ऐसे नामित व्यक्ति एवं एसटीबीए को संबंधित मंडल द्वारा एक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा तया स्टेशन परिसर के नोटिस बोर्ड पर उसका नाम लिखा जाएगा |

(19) एसटीबीए द्वारा टिकट दिये जाने के समय का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन के द्वारा किया जाएगा |

(20) एसटीबीए को यूटीएस के माध्यम से जारी सभी प्रकार के गैर रियायती अनारक्षित टिकटों को केवल नगद आधार पर बेचने की अनुमति होगी, जिसमें प्लेटफार्म टिकट और सिजन टिकट शामिल हैं | क्षेत्रीय रेलवे स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुये ऐसे स्थान पर पीओएस/डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान को अधिकृत कर सकता हैं | सिजन टिकटों के नवीनीकरण और वरिष्ठ नागरिक रियायती टिकटों को जारी करने की भी अनुमति होगी | इसके अतिरिक्त वैसे सभी रियायति अनारक्षित टिकट जिसमें समर्थन में संबंधित दस्तावेज़ की जरूरत हैं को निर्गत करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/बुकिंग क्लर्क/आरक्षण पर्यवेक्षक की टिप्पणी दर्ज की गई हो और अनुमति प्रदान की गई हो।

(21) एसटीबीए द्वारा मनी रसीद, टीटीई कैश, पार्सल कैश आदि एसटीबीए काउन्टर पर तभी जमा किये जा सकतें, जब संबन्धित स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/बुकिंग क्लर्क/आरक्षण पर्यवेक्षक द्वारा अधिकृत किया गया हों, ऐसे कैश की गणना कमीशन के लिए नही की जायेगी और इस पर एसटीबीए को कोई कमीशन देय नही होगा |

(22) संबन्धित स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा पृष्ठांकित किये गये टिकट की एन०आई0 (जारी नही) करने के लिए एसटीबीए अधिकृत होंगे |

लगातार पृष्ठ संख्या 05 पर

226

(23) टिकट को निरस्त करना:- संबंधित स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा प्राधिकृत/पृष्ठांकित किये गये टिकट ही स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा ही निरस्त किया जा सकेगा।

(24) स्टेशन का प्रभारी रेल कर्मी अर्थात स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर टिकट रॉल की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु ज़िम्मेवार होंगे और यह उनकी ड्यूटि होगी की वह एसटीबीए से रोज टिकट रॉल के लेन - देन का कार्य करेंगे। एसटीबीए को जारी टिकट रॉल के रिकॉर्ड का समुचित अनुरक्षण स्टेशन पर किया जाएगा।

(25)एसटीबीए द्वारा पाली सारांश (शिफ्ट समरी) एवं लेन - देन विलय का दैनिक सारांश यूटीएस से किया जाएगा एवं एसटीबीए अपने शिफ्ट / दिन की ड्यूटि समाप्ति के बाद स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर के पास उक्त के अनुसार जमा कर देंगे।

(26) एसटीबीए आपूर्ति किये गये टिकट रॉल का समेकित विवरण एवं उनके द्वारा बेची गई टिकटों का विवरण स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर अथवा किसी अन्य नामित अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सीनियर डी0सी0एम / डी0सी0एम को दिया जाएगा।

(27) इस योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत क्षेत्रीय रेल को कार्यकारी दिशा - निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(28) आवेदक को एक लिखित प्रमाण पत्र देना होगा की वे किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग में या अन्य किसी स्टेशन पर एसटीबीए में कार्यरत नही हैं।

(29) किसी भी प्रकार या प्रकृति के विवाद या दावे की स्थिति में या पार्टियों के बीच इस समझौते के संबंध में मानक मध्यस्थता खंड को समझौते में रखा जाएगा।

टीप्पणी :- रेलवे की वेबसाईट www.northwesternrailway.gov.in पर आवेदन का प्रारूप एवं शर्ते उपलब्ध हैं। इसे उक्त वैबसाईट से डाउन लोड किया जा सकता हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक/उत्तर पश्चिम रेल/अजमेर के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)

उत्तर पश्चिम रेल/अजमेर

225

फोटो

एस0टी0बी0ए0 अभिकर्ता की चयन से संबंधित प्रपत्र

अधिसूचना सं0 सी436/एसटीबीए/2024-25 दिनांक 23.01.2025

01. एस0टी0बी0ए0 की माँग करने वाले स्टेशन व श्रेणी का नाम :-............................
02. आवेदक का नाम :-..
03. पिता /पति का नाम :-..
04. स्थायी निवास :-..
05. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र :-..
06. जन्म तिथि प्रमाण पत्र :-..
07. नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र :- (डी0एम0/ए0डी0एम0/एस0डी0एम0/पुलिस अधीक्षक/ बी0डी0ओ0 / सी0ओ0/तहसीलदार द्वारा निर्गत (06 माह से ज्यादा पुराना नही होना चाहिए) ....
08. बयाना राशि का विवरण :-
    i) बैंक का नाम :-...शाखा......................
    ii) निर्गत तिथि :-..............................रुपये:-...
    iii) डीडी संख्या :-..
09. 1,00,000/- रुपये से ज्यादा की राशि वाले स्लैब में 04 प्रतिशत कमीशन के लिए दिया गया कमीशन :-

स्लैब	मासिक बिक्री , टर्नओवर (रुपये में)	मासिक कमीशन प्रतिशत में
स्लैब-1	1 – 20,000	25 प्रतिशत कम से कम 2500/- रुपये
स्लैब-2	20,001 – 1,00,000	15 प्रतिशत
स्लैब-3	1,00,000 – से उपर	04 प्रतिशत
	निर्धारित दर (1,00,000 से उपर अधिक के स्लैब के लिए प्रतिशत में दर उद्धृत करना)	
	अंको	शब्दों में

टिप्पणी :-

1. सबसे कम दर उद्धृत करने वाले आवेदकों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह बीना विहित कारण के किसी अथवा सभी आवेदनों / विज्ञप्तियों को निरस्त कर सकता हैं।
2. आवेदक 4 प्रतिशत अथवा इससे कम कमीशन स्लैब में कुछ नही लिखता हैं तो उसे शून्य माना जाएगा।
3. अंको को पढ़ने अथवा समझने में समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में शब्दों में लिखी गई प्रतिशत दर को मान्यता दी जाएगी।
4. यदि एक से अधिक आवेदक एक ही दर उद्धृत करते हैं, तो चयन सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से ड्रा के आधार पर किया जाएगा।
5. आवेदक को उसी जिले (District) का निवासी होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए उसने आवेदन किया हैं। स्थानीय नागरिक को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. घोषणा :- घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी सरकारी या गैरसरकारी विभाग में या अन्य किसी स्टेशन पर एसटीबीए में कार्यरत नही हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम –...
पिता / पति –..
ग्राम –...
पोस्ट -.......................थाना-...................
प्रखण्ड -...
जिला -...
पिन -...
मोबाईल नंबर -.....................................
दिनांक -...

fzb

ANNEXURE- "A"

Sr.No	Station	Category	STBA required for	Earnest money
1.	Dhareshwar	NSG-6	24 hrs.	2000
2.	Iqbalgarh	NSG-6	24 hrs.	2000
3.	Sareri	NSG-6	24 hrs.	2000
4.	Bhimal	NSG-6	24 hrs.	2000
5.	Mangliawas	NSG-6	24 hrs.	2000
6.	Mawal	NSG-6	24 hrs.	2000
7.	Bhinwalia	NSG-6	24 hrs.	2000
8.	Sarotraroad	NSG-6	24 hrs.	2000
9.	Kharwa	NSG-6	24 hrs.	2000
10.	Banas	NSG-6	24 hrs.	2000
11.	Kiwarli	NSG-6	24 hrs.	2000
12.	Pushkar(PUHT)	NSG-6	24 hrs.	2000
13.	Mandpiya	NSG-6	24 hrs.	2000
14.	Lambiya	NSG-6	24 hrs.	2000
15.	Debari	NSG-6	24 hrs.	2000
16.	Bar	NSG-6	24 hrs.	2000
17.	Keshavganj	NSG-6	24 hrs.	2000
18.	Chandawal	NSG-6	24 hrs.	2000
19.	Bagri Nagar	NSG-6	24 hrs.	2000
20.	Guriya	NSG-6	24 hrs.	2000
21.	Rupaheli	NSG-6	24 hrs.	2000
22.	Morthala	NSG-6	24 hrs.	2000
23.	Bhimana	NSG-6	24 hrs.	2000
24.	Biroliya	NSG-6	24 hrs.	2000
25.	Saradhana	NSG-6	24 hrs.	2000
26.	Auwa	NSG-6	24 hrs.	2000
27.	Jharwasa	NSG-6	24 hrs.	2000
28.	Hatundi	NSG-6	24 hrs.	2000
29.	Mokhampura	NSG-6	24 hrs.	2000
30.	Khimel	NSG-6	24 hrs.	2000
31.	Amarpura	NSG-6	24 hrs.	2000
32.	Karjoda	NSG-6	24 hrs.	2000
33.	Jethi	NSG-6	24 hrs.	2000
34.	Vantada	NSG-6	24 hrs.	2000
35.	Kharwa Chanda	NSG-6	24 hrs.	2000
36.	Rajosi	NSG-6	24 hrs.	2000
37.	Fatehnagar	NSG-5	24 hrs.	5000
38.	Raigadh Road	NSG-6	24 hrs.	2000